

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
क्रमांक सं.3(3)(1)स्था/मंत्रा/अभि./2018/ 4777

दिनांक :- 4/4/18

समय बढ़ाने के आवेदन अस्वीकार करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को निदेशालय के आदेश क्रमांक सं.3(3)(1)स्था/मंत्रा/अभि./2018/4270-4350 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में पदस्थापन किया जाकर 15 दिवस की नियत अवधि में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

नियुक्ति आदेश में अंकित क्रं. सं. 2, 3, 8 एवं 16 के निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु समय बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें अस्वीकार किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि यदि वे कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक हों तो विहित समयावधि में दिनांक 06.04.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लेवें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाकर मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1(6)प्रसु/अनु-3/2017/ जयपुर दिनांक 23.03.2018 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग को वापिस लौटा दिये जावेंगे।

क्रं.सं.	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	वर्ग
1.	श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री शिम्भू दयाल	363300	134	GEN
2.	श्री विनय गौतम पुत्र श्री दिनेश गौतम	879091	264	GEN
3.	श्री चेतन दवे पुत्र श्री धनेश्वर दवे	590795	841	GEN
4.	श्री नवलाराम पुत्र श्री पुरखाराम चौधरी	397179	1559	BC

21/4/18
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोडल अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन(मुख्यालय) राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर